

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

दून हैलीड्रोम, सहस्त्रधारा रोड ग्राम – कुल्हान, देहरादून-248001

दूरभाष संख्या : 0135-2608681

ई-मेल आईडी: ucadadoon@gmail.com

पत्रांक 3128/यूकाडा/वन भूमि हस्तांतरण /2020

दिनांक 10 जुलाई 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय:- उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण किये जाने हेतु (87.0815 हे0) वन भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तारीकरण किये जाने हेतु चिन्हित की गयी भूमि वन विभाग की है। जिसका भूमि हस्तांतरण किया जाना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में वन भूमि हस्तांतरण कार्यवाही हेतु वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी (उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण) द्वारा भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की चैक लिस्ट में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव को वन विभाग की ऑनलाइन वन भूमि हस्तांतरण वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। जिसकी प्रस्ताव संख्या FP/UK/others/44884/2020 दिनांक 14 मई, 2020 है। नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 20 मई, 2020 को ऑनलाइन प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए हस्ताक्षरित प्रति जमा किये जाने को निर्देशित किया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रति जमा करना चाहें, जिससे वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही को अतिशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

संलग्नक:- यथोपरि सूच्य प्रति 1
काया प्रति 4

भवदीय,



(नरेश चमोली)

वन संरक्षण विशेषज्ञ

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. उप-जिलाधिकारी, डोईवाला, देहरादून।



(नरेश चमोली)

वन संरक्षण विशेषज्ञ